रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247765
CG-DL-E-01082023-247765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
No. 452] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 579(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6कखखक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"6कखखख. धारा 35घ के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप—

(1) निर्धारिती द्वारा धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यय का विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए प्ररूप सं. 3कच में होगा ।

(2) प्ररूप सं. 3कच, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं. 3कच, यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) प्ररूप सं. 3कच, निम्नलिखित इलैक्ट्रॉनिक ढ़ंग से प्रस्तुत किया जाएगा,--

(i) यदि आय की विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, जो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से ।

(5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप सं. 3कच प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विरचित और सृजित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति प्ररूप सं. 3कच को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।"।

3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3कङ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 3कङ

[नियम 6कख देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा *35घ(4)/धारा 35ङ(6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने मैसर्ज .... के तारीख .... को यथा विद्यमान तुलन-पत्र (पत्रों) और *उस तारीख/(उन तारीखों) को समाप्त हुए वर्ष (वर्षों) के लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की जांच की है, जो .... में स्थित मुख्यालय* और .... में स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है ।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे । *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा-बहियों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते, ऊपर नामित निर्धारिती के *मेरे/हमारे द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं और *मेरे/हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित लेखा-बहियां प्रापत की गई है—

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है—

(i) तुलन-पत्र (पत्रों) की दशा में तारीख .... को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति को, और

(ii) लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की दशा में तारीख .... को समाप्त होने वाले उसके लेखा वर्ष (वर्षों) के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ या हानि को।

धारा *35घ/धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण संलग्न है और *मेरी/हमारी राय में **और** *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कार्यकलाप की स्थिति को और विश्वास के अनुसार ये सत्य और सही है।

स्थान :	हस्ताक्षरित : ....
तारीख :	लेखाकार
	नाम : ....
	पता : ....
	सदस्यता संख्या : ....

टिप्पणियां :

1. * जो लागू न हो उसे काट दें।

2. †यह रिपोर्ट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है।

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

प्ररूप सं. 3कङ का उपाबंध

अनुभाग क

धारा 35घ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1.	कारबार आरंभ करने की तारीख	....
2.	जहां कटौती का दावा, किसी औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत व्यय के प्रति निर्देश में किया जाता है, वहां विस्तार पूरा होने की या नई औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन या प्रचालन आरंभ करने की तारीख बताएं।	....
*3.	व्यय की अर्हक रकम :	
	† निम्नलिखित के संबंध में व्यय	
	(i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	.... रुपए
	(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	.... रुपए
	(iii) बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो	.... रुपए
	(iv) निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं	.... रुपए
	(ख) निर्धारिती के कारबार को स्थापित करने या उसका प्रचालन करने से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए जाने वाले किसी करार के प्रारूपण के लिए विधिक प्रभार	.... रुपए
	योग	.... रुपए
	क्या प्ररूप 3कच, नियम 6कखखख के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। हां/नहीं	

‡4. परियोजना की लागत, अर्थात्, निम्नलिखित की वास्तविक लागत :

(i) भूमि और भवन (विकास पर किए गए व्यय सहित) .... रुपए

(ii) पट्टा धृतियां .... रुपए

(iii) संयंत्र और मशीनरी .... रुपए

(iv) फर्नीचर और फिटिंग .... रुपए

(v) रेल साइडिंग .... रुपए

योग .... रुपए

5. धारा 35घ के अधीन दावा की गई कटौती .... रुपए

स्थान : ....

तारीख : ....

हस्ताक्षरित : ....

लेखाकार

नाम : ....

पता : ....

सदस्यता संख्या : ....

अनुभाग ख

धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1. खनिज (खनिजों) का या सहबद्ध खनिज के समूह (समूहों) का नाम, जिसके (जिनके) संबंध में पूर्वेक्षण या विकास से संबंधित प्रचालन किए गए ....

2. वाणिज्यिक उत्पादन का वर्ष ....

3. व्यय की अर्हक रकम :

वर्ष, जिसमें व्यय उपगत किया गया	व्यय की रकम (ब्यौरे दें) रुपए
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
……..	

स्थान : ....

तारीख : ....

हस्ताक्षरित : ....

लेखाकार

नाम : ....

पता : ....

सदस्यता संख्या : ....

*जहां अर्हक व्यय एक वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान उपगत किया गया है, वहां व्यय का वर्षवार ब्यौरा दिया जाना चाहिए ।

† इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 से पूर्व व्यय का दावा केवल तभी किया जाना चाहिए, जब व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या इंजीनियरी सेवाओं से जुड़ा कार्य स्वयं निर्धारिती या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी समुत्थान द्वारा किया गया हो । इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 के पश्चात् व्यय के लिए प्ररूप 3कच भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

‡ ऐसे मामले में, जहां दावा, कारबार के आरंभ से पूर्व उपगत प्रारंभिक व्ययों से संबंधित है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए । जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, जिसमें कारबार आरंभ किया गया था, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, ऐसे किसी मामले में, जहां व्यय औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत किए गए हों, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों (जहां तक ऐसी आस्तियों को औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित किया गया था) की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए, जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें औद्योगिक उपक्रम के विस्तार पूरा किया गया था या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या प्रचालन आरंभ किया था ।

प्ररूप सं. 3कच

[नियम 6कखखख देखिए]

(ई-प्ररूप)

निर्धारिती द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा *35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंधित प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण ।

निर्धारिती का नाम	नाम	
	प्रास्थिति	
	आवासीय प्रास्थिति	
	स्थायी खाता संख्यांक	
	आधार संख्या (यदि लागू हो)	
	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्यांक (यदि लागू हो)	
	पता	
सुसंगत पूर्व वर्ष, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है		

	*के संबंध में व्यय		उपगत व्यय के ब्यौरे							
	क्रियाकलाप की प्रकृति (टिप्पण 1 देखे)	क्या निर्धारिती द्वारा स्वयं किया गया (हां/नहीं)	क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति(यों) का नाम और पता (टिप्पण 2 देखे)	व्यक्ति(यों) का स्थायी खाता संख्यांक	क्या (स्वयं निर्धारिती से भिन्न) व्यक्ति को क्रियाकलाप करने का पूर्व अनुभव है (हां/नहीं)	व्यय की रकम (रु. में)			यदि स्रोत पर कर कटौती किया गया है तो निम्नलिखित बताएं	
						नकद संदत्त	नकद से	कुल	कटौती किए	धारा, जिसके

							अन्य था संदत्त		गए कर की रकम (रु. में)	अधीन स्रोत पर कर कटौती किया गया है
क.	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना									
ख.	परियोजना रिपोर्ट तैयार करना									
ग.	बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो									
घ.	निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं									

* ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराए जाएं।

सत्यापन

मैं, …………………………………….. घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी, मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आज... तारीख को सत्यापित।

स्थान : ....

तारीख : ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर :

टिप्पणियां :

1. एक से अधिक व्यक्ति द्वारा क्रियाकलाप करने के मामले में, पृथक् ब्यौरे फाइल किए जाएं।
2. यदि स्वयं निर्धारिती द्वारा किया गया, तो "स्वयं" लिखें।

[अधिसूचना सं. 54/2023/ फा. सं. 370142/24/2023- टीपीएल]

जिवितेश आनन्द, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 519 (अ), तारीख 18.7.2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 35D read with section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Income-tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 6ABBA, the following rule shall be inserted, namely:—

"6ABBB. Form of statement to be furnished regarding preliminary expenses incurred under section 35D.–

(1) The statement containing particulars of expenditure required to be furnished under proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 35D by the assessee shall be in Form No. 3AF for each previous year.

(2) Form No. 3AF shall be furnished one month prior to the due date for furnishing the return of income as specified under sub-section (1) of section 139.

(3) Form No. 3AF shall be furnished to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

(4) Form No. 3AF, shall be furnished electronically,—

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedures for furnishing Form No. 3AF and shall also be responsible for formulating and evolving appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the form so furnished.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall forward Form No. 3AF to the Assessing Officer.".

3**.** In the principal rules, in Appendix II, for Form No. 3AE, the following Forms shall be substituted, namely:–

"FORM NO. 3AE
[See rule 6AB]
(e-Form)
Audit Report under section * 35D(4)/35E(6) of the Income-tax Act, 1961

* I/We have examined the Balance Sheet(s) of M/s ___________________________ as at ____________________________________ and the Profit and Loss Account(s) for the year(s) ended on ____________________* that/those date(s) which are in agreement with the books of account maintained at the head office at ______________________________* and branches at _________.

* I/We have obtained all the information and explanations which to the best of * my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In * my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named assessee visited by * me/us so far as appears from * my/our examination

of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by * me/us, subject to the comments given below :-

____

____

In * my/our opinion and to the best of * my/our information and according to explanations given to * me/us, the said accounts give a true and fair view:-

(i) in the case of the Balance Sheet(s) of the state of the abovenamed assessee's affairs as at ____________________; and

(ii) in the case of the Profit and Loss Account(s), of the profit or loss of his accounting year(s) ending on ____________________.

The statement of particulars required for the purposes of the deduction under section * 35D/35E is annexed and in *my/our opinion and to the best of * my/our information and according to explanations given to * me/us, these are true and correct.

Place…………………

Date………………….

Signed: …………………………………………….

Accountant†

Name: ………………………………………………

Address: …………………………………………..

Membership No: ………………………………

Notes :

1. *Delete whichever is not applicable.
2. †This report is to be given by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act,1961.
3. Where any of the matters stated in this Report is answered in the negative or with a qualification, the Report shall state the reasons for the same.

ANNEXURE TO FORM NO. 3AE

SECTION A

STATEMENT OF PARTICULARS REQUIRED FOR THE PURPOSES OF DEDUCTION UNDER SECTION 35D

1.	Date of commencement of business		……………………
2.	Where the deduction is claimed with reference to the expenditure incurred in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit, the date on which the extension was completed or new industrial unit commenced production or operation		…………………….
*3.	Qualifying amount of expenditure :		
	† (a) Expenditure in connection with-		
	(i) preparation of feasibility report	Rs……	
	(ii) preparation of project report	Rs……	
	(iii) conducting market survey or any other survey necessary for the business of the assessee	Rs……	
	(iv) engineering services relating to the business of the assessee	Rs……	
	(b) Legal charges for drafting any agreement between the assessee and any other person for any purpose relating to the setting up or conduct of the business of the assessee	Rs……..	
	TOTAL	Rs……..	
	Whether Form No. 3AF has been filed as per the provisions of rule 6ABBB?	Yes/No	
‡4.	Cost of the project, i.e., actual cost of:		
	(i) land and buildings (including expenditure on development)		
	(ii) leaseholds	Rs………	
	(iii) plant and machinery	Rs………	
	(iv) furniture and fittings	Rs………	
	(v) railway sidings	Rs………	

		Rs………
	TOTAL	Rs………
5.	Deduction claimed under section 35D	Rs………

Place…………..
Date……………

Signed : ……………………………...
Accountant
Name: ………………………………..
Address: ……………………………..
Membership No: …………………….

SECTION B

STATEMENT OF PARTICULARS REQUIRED FOR THE PURPOSES OF DEDUCTION UNDER SECTION 35E

1. Name(s) of mineral(s) or group(s) of associated minerals in respect of which operation relating to prospecting or development were undertaken …………………………………
2. Year of commercial production …………………………………
3. Qualifying amount of expenditure:

Year in which expenditure was incurred	Amount of expenditure (Give details) Rs.
1. 2. 3. 4. 5. ……..	

Place…………..
Date……………

Signed : ……………………………...
Accountant
Name: ………………………………..
Address: ……………………………..
Membership No: …………………….

*Where the qualifying expenditure was incurred during more than one year, year-wise details of the expenditure should be given.

†Expenditure prior to 1.4.2023 under this head should be claimed only where the work in connection with the preparation of the feasibility report or project report or conducting market survey or any other survey or engineering services has been carried out by the assessee himself or by a concern which has been approved in this behalf by the Board. Expenditure after 1.4.2023 under this head requires Form No. 3AF also to be furnished.

‡ In a case where the claim relates to preliminary expenses incurred before the commencement of business, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of the assessee as on the last day of the previous year in which the business was commenced should be given. In a case where the expenses were incurred in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of account as on the last day of the previous year in which the extension of the industrial undertaking was completed or the new industrial unit commenced production or operation (in so far as such assets have been acquired or developed in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of the new industrial unit) should be given.

FORM NO. 3AF
[See rule 6ABBB]
(E-form)

Statement regarding preliminary expenses incurred to be furnished under proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 35D of the Income-tax Act, 1961 by the assessee

Name of the Assessee	Name	
	Status	
	Residential status	
	Permanent Account Number	
	Aadhaar number (if applicable)	

	Tax Deduction and Collection Account Number (if applicable)	
	Address	
Relevant previous year for which the statement is being filed		

	Expenditure in connection with:*		Details of expenditure incurred							
	Nature of activity (See Note 1)	Whether carried out by assessee itself (Y/N)	Name and address of person (s) carrying out the activity (See Note 2)	PAN of the person(s)	Whether the person (other than assessee itself), has prior experience in carrying out the activity (Y/N)	Amount of expenditure (in Rs.)			If tax deducted at source, then provide:	
						Paid in Cash	Paid other than in cash	Total	Amount of tax deducted (in Rs.)	Section under which tax is deducted
a.	Preparation of feasibility report									
	…									
b.	Preparation of project report									
	…									
c.	Conducting market survey or any other survey necessary for business of the assessee									
	…									
d.	Engineering services relating to the business of the assessee									
	…									

*Drop down to be provided

Verification

I ……………….., do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. Verified today, the _______________ day of _______________.

Place

Date

Signature of the Authorised Signatory

Note:

1. In case there is more than one person carrying out the activity, separate details to be filled.
2. If carried out by the assessee itself, write "SELF".".

[Notification No. 54/2023/ F. No. 370142/24/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 519 (E), dated 18.7.2023.

SAG INFOTECH service begins here....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA